न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2020 राजस्व अपील

1. भजनलाल पुत्र श्योनारायण जाति मीणा निवासी कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार सिकराय दिनांक 26.12.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम भजनलाल, प्रकरण सं. 214/2019 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 17.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 716 में से 1.50 है. भूमि पर सम्वत 2076 में अतिक्रमण मानकर बिना कोई जांच किये व अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलान्ट के पीठ पीछे दिनांक 26.12.2019 को 450/– रूपये की शास्ति व तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 26.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना व अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पटवारी हल्का से जिरह किये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ववर्ती अतिक्रमण का कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध हुये बिना सजा जैसा कठोरतम आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलोच्य आदेश

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील मंजूर फरमायी जाकर तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 26.12.2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 716 रकबा 1.50 है. पर चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 26.12.2019 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पूर्व अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 26.12.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 716 रकबा 1.50 है. पर चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट पूर्व अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.12.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 214/2019 उनवानी सरकार बनाम भजनलाल में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official